

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 अगस्त 2016—श्रावण 19, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. 13087-226-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०१६

[ दिनांक ९ अगस्त, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० अगस्त, २०१६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,४३,६७,५४,२४,९०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चौदह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार नौ सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व २,५६,८०,४००	१,१२,६५,७००	३,६९,४६,१००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २००	०	२००
०३.	पुलिस	राजस्व ९७,४१,४७,९०० पूंजी ९०,००,००,०००	० ०	९७,४१,४७,९०० ९०,००,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ६,००,४७,०००	०	६,००,४७,०००
०६.	वित्त	राजस्व ३००	०	३००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	४,९२,००,०००	०	४,९२,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,७०,५६,१००	०	६,७०,५६,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	२,६३,१८,०५,०००	५६,७८,४००	२,६३,७४,८३,४००
		पूंजी	७,०१,१३,००,०००	०	७,०१,१३,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
		पूंजी	२१,००,००,०००	०	२१,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१३,३१,००,००,१००	०	१३,३१,००,००,१००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,४६,६७,३२,०००	०	४,४६,६७,३२,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	९०,००,०००	०	९०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	८,६०,२५,००,०००	०	८,६०,२५,००,०००
		पूंजी	५,६९,६४,३४,०००	०	५,६९,६४,३४,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	१,०००	०	१,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,९१,९७,००,२००	०	४,९१,९७,००,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२३.	जल संसाधन	पूँजी	५,००,२०,००,५००	०	५,००,२०,००,५००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१००	०	१००
		पूँजी	१,५०,००,१०,४००	०	१,५०,००,१०,४००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	८८,६८,०००	०	८८,६८,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व	१०,९५,२५,१००	०	१०,९५,२५,१००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१३,४५,००,०००	०	१३,४५,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	६,२५,००,०००	१८,००,०००	६,४३,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	७३,२५,३३,०००	७,८५,४०,०००	८१,१०,७३,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	३,१५,०५,६००	०	३,१५,०५,६००
३७.	पर्यटन	पूँजी	१०,००,००,३००	०	१०,००,००,३००
३८.	आयुष	राजस्व	१०,४५,००,०००	०	१०,४५,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,६६,०८,७३,५००	०	२,६६,०८,७३,५००
		पूँजी	६,४५,००,०००	०	६,४५,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२,४००	०	२,४००
		पूँजी	३५,००,००,१००	०	३५,००,००,१००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	८,२३,२१,३७,८००	०
	पूँजी	३,५८,४६,२३,३००	०
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूँजी	४००	०
			४००
४४. उच्च शिक्षा	पूँजी	१८,६४,००,०००	०
			१८,६४,००,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	८,८००	०
			८,८००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	४९,९७,६१,६००	०
			४९,९७,६१,६००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	५,५४,६२,०००	०
	पूँजी	१०,००,००,०००	०
४८. नर्मदा घाटी विकास	पूँजी	२,५९,११,५५,१००	०
			२,५९,११,५५,१००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	६९,५३,६१,१००	०
			६९,५३,६१,१००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१,२५,९१,०००	०
			१,२५,९१,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,१३,४०,४६,०००	०
			४,१३,४०,४६,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	३२,८३,००,०००	०
			३२,८३,००,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१९,९९,७०,४००	०
	पूँजी	४७,४२,५०,०००	०
			४७,४२,५०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	३,०५,७९,७००	०	३,०५,७९,७००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	१२,५०,००,०००	०	१२,५०,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१८,७५,८५,००,१००	०	१८,७५,८५,००,१००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१६,४९,८६,५००	०	१६,४९,८६,५००
		पूंजी	१,९९,९३,६२,४००	०	१,९९,९३,६२,४००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	७२,३८,००,०००	०	७२,३८,००,०००
		पूंजी	६८,४०,००,०००	०	६८,४०,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	४,६१,११,७२,५००	०	४,६१,११,७२,५००
		पूंजी	२,१५,३७,३६,३००	०	२,१५,३७,३६,३००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	४,७३,७१,०००	०	४,७३,७१,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य- भवन	राजस्व	११,००,००,०००	०	११,००,००,०००
		पूंजी	५००	०	५००
६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	३,६०,००,००,०००	०	३,६०,००,००,०००
		पूंजी	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६,४१,००,०००	०	६,४१,००,०००
		पूंजी	५५,७४,००,०००	०	५५,७४,००,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १५,३३,८१,४१,०००	० १५,३३,८१,४१,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व २,५०,००,००,०००	६०,००,००,००० ३,१०,००,००,०००
	योग {	राजस्व : १,०९,२४,०५,८६,७००	६९,७२,८४,१०० १,०९,९३,७८,७०,८००
	{	पूंजी : ३३,७३,७५,५४,१००	० ३३,७३,७५,५४,१००
	वृहद-योग :	१,४२,९७,८१,४०,८००	६९,७२,८४,१०० १,४३,६७,५४,२४,९००

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. 13087/226-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 21 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 21 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 9<sup>th</sup> August, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10<sup>th</sup> August, 2016.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2016-2017.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2016.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of ₹ Fourteen Thousand Three Hundred Sixty Seven Crore Fifty Four Lakh Twenty Four Thousand Nine Hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2016-2017 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of ₹ 1,43,67,54,24,900 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2016-2017.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, Shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

**THE SCHEDULE**  
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration	Revenue	2,56,80,400	<b>1,12,65,700</b>	3,69,46,100
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	200	<b>0</b>	200
03.	Police	Revenue	97,41,47,900	<b>0</b>	97,41,47,900
		Capital	90,00,00,000	<b>0</b>	90,00,00,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	6,00,47,000	<b>0</b>	6,00,47,000
06.	Finance	Revenue	300	<b>0</b>	300
07.	Commercial Tax	Revenue	4,92,00,000	<b>0</b>	4,92,00,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	6,70,56,100	<b>0</b>	6,70,56,100
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	2,63,18,05,000	<b>56,78,400</b>	2,63,74,83,400
		Capital	7,01,13,00,000	<b>0</b>	7,01,13,00,000
12.	Energy	Revenue	10,00,00,00,000	<b>0</b>	10,00,00,00,000
		Capital	21,00,00,000	<b>0</b>	21,00,00,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	13,31,00,00,100	<b>0</b>	13,31,00,00,100
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	4,46,67,32,000	<b>0</b>	4,46,67,32,000



(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
16.	Fisheries	Revenue	90,00,000	0	90,00,000
17.	Co-operation	Revenue	8,60,25,00,000	0	8,60,25,00,000
		Capital	5,69,64,34,000	0	5,69,64,34,000
18.	Labour	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	100	0	100
20.	Public Health Engineering	Capital	1,000	0	1,000
21.	Public Services and Management	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
22.	Urban Development and Environment	Revenue	4,91,97,00,200	0	4,91,97,00,200
23.	Water Resources Department	Capital	5,00,20,00,500	0	5,00,20,00,500
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	100	0	100
		Capital	1,50,00,10,400	0	1,50,00,10,400
25.	Mineral Resources	Revenue	88,68,000	0	88,68,000
26.	Culture	Revenue	10,95,25,100	0	10,95,25,100
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	13,45,00,000	0	13,45,00,000
28.	State Legislature	Revenue	6,25,00,000	18,00,000	6,43,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	73,25,33,000	7,85,40,000	81,10,73,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
32.	Public Relations	Revenue	15,00,00,000	0	15,00,00,000
34.	Social Justice	Revenue	3,15,05,600	0	3,15,05,600
37.	Tourism	Capital	10,00,00,300	0	10,00,00,300
38.	Ayoush	Revenue	10,45,00,000	0	10,45,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	2,66,08,73,500	0	2,66,08,73,500
		Capital	6,45,00,000	0	6,45,00,000
40.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	2,400	0	2,400
		Capital	35,00,00,100	0	35,00,00,100
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	8,23,21,37,800	0	8,23,21,37,800
		Capital	3,58,46,23,300	0	3,58,46,23,300
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	400	0	400
44.	Higher Education	Capital	18,64,00,000	0	18,64,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Capital	8,800	0	8,800
46.	Science and Technology	Revenue	49,97,61,600	0	49,97,61,600
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	5,54,62,000	0	5,54,62,000
		Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	2,59,11,55,100	0	2,59,11,55,100

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	69,53,61,100	0	69,53,61,100
51.	Religious Trusts and Endowments			
	Revenue	1,25,91,000	0	1,25,91,000
52.	Financial assistance to Triblal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	4,13,40,46,000	0	4,13,40,46,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	32,83,00,000	0	32,83,00,000
55.	Women and Child Development			
	Revenue	19,99,70,400	0	19,99,70,400
	Capital	47,42,50,000	0	47,42,50,000
56.	Rural Industry			
	Revenue	3,05,79,700	0	3,05,79,700
57.	Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department			
	Capital	12,50,00,000	0	12,50,00,000
58.	Expenditure on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity			
	Revenue	18,75,85,00,100	0	18,75,85,00,100
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes			
	Revenue	16,49,86,500	0	16,49,86,500
	Capital	1,99,93,62,400	0	1,99,93,62,400
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhan package			
	Revenue	72,38,00,000	0	72,38,00,000
	Capital	68,40,00,000	0	68,40,00,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan			
	Revenue	4,61,11,72,500	0	4,61,11,72,500
	Capital	2,15,37,36,300	0	2,15,37,36,300
66.	Welfare of Backward Classes			
	Capital	4,73,71,000	0	4,73,71,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	11,00,00,000	0	11,00,00,000
	Capital	500	0	500
69.	Nomadic and Semi Nomadic Caste Welfare			
	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
71.	Expenditure pertaining to Shinmhast, 2016			
	Revenue	3,60,00,00,000	0	3,60,00,00,000
	Capital	40,00,00,000	0	40,00,00,000
73.	Medical Education Department			
	Revenue	6,41,00,000	0	6,41,00,000
	Capital	55,74,00,000	0	55,74,00,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	15,33,81,41,000	0	15,33,81,41,000
75.	Financial Assistance to Urban bodies			
	Revenue	2,50,00,00,000	60,00,00,000	3,10,00,00,000
	<b>Total</b> .. {			
	Revenue :	1,09,24,05,86,700	69,72,84,100	1,09,93,78,70,800
	Capital :	33,73,75,54,100	0	33,73,75,54,100
	<b>Grand Total</b> :	1,42,97,81,40,800	69,72,84,100	1,43,67,54,24,900